

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीवसीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एम्.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 183/2020

प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 संपत्ति धारा 151 सी.पी.सी.

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रार्थी/प्रतिवादी.....

बनाम

1. हजाराराम पुत्र मेहराम जाति विद्वनोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला जोधपुर
2. केवलराम पुत्र हजाराराम जाति विद्वनोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला जोधपुर
3. सुरराम पुत्र हजाराराम जाति विद्वनोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला जोधपुर

अप्रार्थीगण/वादीगण

स्थिति:-

1. तहसीलदार बाप प्रार्थी/प्रतिवादी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण

निर्णय

दिनांक:- 28.12.2022

प्रार्थी/प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 संपत्ति धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त अनवान का वाद सरकारी भूमि पर ख़ातेदारी देने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगणों को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है तथा वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काइत नहीं रहने से विवादित भूमि पर वादी ख़ातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का वादी को वाद कारण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की ख़ातेदारी की घोषणा से पूर्व वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से इस स्तर पर ही ख़ारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा सरकारी भूमि पर लम्बे समय से ख़ातेदारी अधिकार घोषित किये जाने की मांग की गई है जबकि समय-समय पर माननीय हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय से वादी को Adverse Possession के आधार पर

Handwritten signature

ख़ातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं तथा गिरदावरी रिपोर्ट से किसी भी ख़ातेदार को ख़ातेदारी हक़ अधिकार पैदा नहीं हो सकते हैं। इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्य कोई आधार मौजूद नहीं होने से उपरोक्त अनवान का वाद इसी स्तर पर ख़ारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं है तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इस स्तर पर ख़ारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 संपत्ति धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब न पेश करते हुये बहस करने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 संपत्ति धारा 151 सी.पी.सी. सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहनाता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादपत्र के चरण संख्या 02 के अनुसार वादीगण के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काशत चल आ रहा है और वर्तमान में वादीगण का सरहद मौजा हनुमाननगर पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नम्बर 219 रकबा 2008.14 बीघा में संलग्न नक्शानुसार रकबा 40.00 बीघा जो कि वादग्रस्त भूमि है पर कब्जा काशत है। बाप तहसील के कुछ गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र में लिया गया है जिनमें पटवार मण्डल कानासर भी सम्मिलित है। उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में आये गांवों में कब्जे के आधार पर ख़ातेदारी दिये जाने के प्रावधान है। इसलिये वादीगण को विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ख़ातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इसलिये वादीगण ग्राम हनुमाननगर पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नम्बर 219 रकबा 2008.14 बीघा में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 40.00 बीघा भूमि पर ख़ातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

तहसीलदार बाप के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 संपत्ति धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ख़ातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त किये जा सकते हैं। वादकारण नहीं

hina

देना देने के कारण, प्रथम कृष्या वाद साबित नहीं होने के कारण, 80 सी.पी.सी. नोटिस के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाक्यास्त भूमि राजकीय भूमि/सिवाय चक भूमि है। प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तदुसीलदार बाप के अनुसार विधि के प्राक्यानानुसार समय-समय पर उक्त वाक्यास्त भूमि से वाकीगण/अतिक्रमी को बेबरबल किया जाता रह्य है।

'प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ख्रातेदारी' के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय-

(1) आर.आर.डी. 2016 पेज 464 चेनाराम और अन्य विरुद्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य-माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनियमित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ख्रातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है।

(2) आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2011- इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनियमित किया है कि "Rajasthan Tenancy act does not have provision to confer tenancy right to adverse possessor. This bench also inter that providing tenancy right to adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy right is against the basic spirit of this special legislation."

(3) आर.आर.डी. 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018- इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाल देते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनियमित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ख्रातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

(4) बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ का निर्णय दिनांक 15.10.1990- प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक अतिचारी का कब्जा राज्य के विरुद्ध प्रतिकूल नहीं हो जाता। एक ख्रातेदार अभिधारी भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार धारण नहीं करता, वह केवल पट्टेदार है, राज्य भू-धारक/भूमि का स्वामी बना रहता है। एक ख्रातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है जो कुछ शर्तों के अध्याधीन है। यदि उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य को उस भूमि को वापिस लेने का अधिकार है।

Handwritten signature

किसी व्यक्ति को ख़ातेदारी अधिकार राजस्थान काइतकारी अधिनियम की धारा 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193, 194(2) व धारा 101 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपत्ति नियम 18 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 और राजस्थान उपनिवेशान (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत डी प्राप्त हो सकते हैं। निर्विवाद रूप से वादीगण ने उक्त किसी भी धारा के अन्तर्गत ख़ातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अभिपचन नहीं लिया है। राजस्थान काइतकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को ख़ातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अधिनियम के तृतीय अनुच्छेद में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ख़ातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में, वादीगण को वादकारण दाखिल नहीं होने के कारण, राजस्थान काइतकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ख़ातेदारी के प्रावधान नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपत्ति धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपत्ति धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादीगण नामंजूर किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

hijaru
 (मांगीलाल, आर.ए.एस.)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बाप (जोधपुर)